न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

181

R 1115 II-17

पुनरीक्षा क्रमांक– /2017

1. मुस0 डोलमन बेवा रामकृपाल गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
2. सुनील गुप्ता तनय रामकृपाल बानी पेशा– खेती, निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.) ------ पुनरीक्षणकर्तागण

श्री .... द्वारा आज दि 10.4.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.4.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमती किरण पाठक पुत्री गदाधर प्रसाद शर्मा सा0–धानी, तह0– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) **हाल निवासी** ग्राम–कोतरकला सीधी, वार्ड क्रमांक–1, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
2. ज्ञानेन्द्र गुप्ता पिता जयपति गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
3. धीरेन्द्र गुप्ता पिता जयपति गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
4. सुनील सिंह तनय समरजीत सिंह बाघेल निवासी ग्राम– बंजारी, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
5. जयपति गुप्ता तनय हरिदास गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
6. दिनेश गुप्ता तनय विंध्यवासिनी गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
7. सुरेश गुप्ता तनय बंशगोपाल गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
8. बड़कू गुप्ता तनय हरिदास गुप्ता निवासी ग्राम–कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)

9. मुस0 ऊषा बेवा पत्नी राजबहोरन गुप्ता निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
10. पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
11. अंकित गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता निवासी ग्राम– कोतरकला, तह0–गोपदबनास, जिला–सीधी (म.प्र.)
12. म0प्र0 शासन ———— गैरपुरीक्षणकर्तागण

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 192/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक– 30.03.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्नांकित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत हैः–

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपवन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्तागणों ने अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरवादी क्रमांक–1 के द्वारा विचारण न्यायालय में कराये गये दूषित नक्शा तर्मीम के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया था जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गैरनिगरानीकर्तागणों के विरूद्ध दिनांक–13.02.2017 को अपीलाधीन आराजियों का विक्रय एवं अन्तरण पर प्रतिबन्धित किया गया था जिसकी पेशी तारीख दिनांक– 08.03.2017 को नियत की गई थी तथा दिनांक– 08.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः 45 दिवस के लिये स्थगन बढ़ाया गया था। जिसकी पेशी तारीख दिनांक– 13.04.2017 नियत की गई थी।

3. यह कि उत्तरवादीगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक–17.03.17 को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक– 13.02.2017 निरस्त कराये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त उन्मानीक प्रकरण को सुनवाई में लेते हुये अपीलार्थीगणों को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया है और पेशी तारीख पूर्ववत् दिनांक– 13.04.17 नियत की गई।

R-1115-II/17 जिमा- स्वीकृत

30.10.17	आवेदक अभि० श्री योगेन्द्र भदौरिया द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आवेदक अभिभाषक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है।	30/10/2017 Yshar... not pres... Yshar... योगेन्द्र भदौरिया 30.10

सदस्य